न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 42/2020 (75 एलआरए)
भेरूलाल बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00051)

भेरूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति कलाल निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 24.02.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 102/2020

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कुलेन्द्र नागर

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 26.08.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 102/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 102/2020 पटवारी हल्का बिन्दायक की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया अप्रार्थी निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर कब्जा होना स्वीकार किया । पटवारी व 2 स्वंतंत्र गवाहों

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

के ब्यान लिये जो शामील पत्रावली है, बयान के अनुसार भैरूलाल ने बिन्दायका की आराजी ख0न0 747 की 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर गेंहू की फसल सम्वंत 2076 में काश्त की गई है, अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2075 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर बेदखल किया गया था अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अतिक्रमी को उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने के अपराध में अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 1.60 रूपये का 50 गुना अर्थात 80 रूपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के अपराध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी अकलेरा को भिजवाए गए। अपीलांट् ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता कुलेन्द्र नागर ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, आराजी भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई काश्त नही की है–फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करा दी है। अब भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया जायेगा। दौरान बहस उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ने की तहसीलदार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2020 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।

5 वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है, जिसकी तामील स्वंय अपीलान्ट को हुई है, अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। इसलिए अपीलान्ट के अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर फसल बोई थी, जिस पर से उसे बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही की गई थी,, अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वंत 2076 में अतिक्रमण कर फसल सोयाबीन काश्त की गई है इसलिये वकील अपीलान्ट का दूसरा तर्क भी मानने योग्य नही है।

7 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2020 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(दाताराम) 26/8/2020
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
पदेन जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

9 निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम) 26/8/2020
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
पदेन जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)